

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
हुक्म
पेज

25/3/25

पत्रावली पेडा हुई / ग्राम प्राचीण उपस्थित /
 ग्राम प्राचीण की पहल प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में
 पत्रावली का अवलोकन किया गया / धारा-218
 RT Act एवं 039 R1 & 2 CPC के तहत विनियम -
 (a) प्रकरण प्रथम दृष्टया, (b) सुविधा का संतुलन
 एवं (c) अपूर्वीय ज्ञान - के परिप्रेक्ष्य में प्राप्ति
 में संशय नहीं एवं पहल में किया गया कर्ण
 का भी अवलोकन किया गया / ग्राम वीरवियानुर्ज
 तहसील सुमेल की वादग्रस्त आराजी नं० 118,
 115 व 121 क्रमांक, जो कि प्राचीण व अप्राचीण क्रम
 1 से 14 की सह खातेदारी में दर्ज हैं और प्राचीण
 के साथ अनुसार की पर oral family settlement
 के तहत बंटवारा हो रहा है, के सम्बन्ध में
 प्राचीण का प्राप्ति U/s 218 RT Act r.w. 039 R1 &
 CPC मांशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
 अप्राचीण क्रम 15 व 16 को ताकिसनामूलक डील
 कासय कि अर्थात् निवेद्यता से पावट किया
 जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में से गणना
 नियंत्रित परिधानता, आलावाद के अर्धीन अवाम गुडा
 1-05 बीघा भूमि की मुआवजा राशी का मुमान,
 वाद बहुलता रोकने के लिए, किसी भी प्रकार
 को ~~नहीं~~ नहीं करे। अन्यपक्ष द्वारा सहमति/
 राजीनामा पैदा कि जाने पर मुआवजा मुमान
 पर रोक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्राणनाथ
 कोई लगान नहीं होगा। पत्रावली के संलग्न होकर
 मखर से कम लेकर मूलतः के साथ संलग्न हो।



[Handwritten Signature]

25/03/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिडवा, जिला आराज (नं०)

